GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES *****

LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 2998

TO BE ANSWERED ON 20th MARCH, 2023 (MONDAY)/ PHALGUNA 29, 1944 (SAKA)

REVIVAL OF OLD PENSION SCHEME

2998. Shrimati Sarmistha Sethi

Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) whether there is any proposal for revival of old pension scheme for Central Government employees;
- (b) if so, the details thereof;
- (c) whether there is any proposal to modify the New Pension Scheme (NPS); and
- (d) if so, the details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. BHAGWAT KARAD)

(a) to (d) The National Pension System (NPS) was introduced by the Government of India vide notification dated 22.12.2003 to replace the defined benefit pension system by defined contribution pension scheme in order to provide old age income security in a fiscally sustainable manner and to channelize small savings into productive sectors of the economy through prudential investments. It was made mandatory for all new recruits to the Government service (except armed forces) with effect from 01.01.2004, and has also been rolled out for all citizens with effect from 01.05.2009, on voluntary basis. The Government of India has taken a number of steps for streamlining NPS for Central Government employees and to protect the interest of the subscribers. These include enhancement of Government's contribution from the earlier 10% of Pay + DA to 14% of Pay + DA, freedom of choice for selection of Pension Funds and pattern of investment to subscribers, payment of compensation for non-deposit or delayed deposit of NPS contributions, tax exemption under Section 80C of the Income Tax Act, 1961 and increase in tax exemption limit for lump sum withdrawal on exit from earlier 40% to 60% of the amount due, making the entire withdrawal exempt from income tax.

There is no proposal under consideration of Government of India for restoration of old pension scheme in respect of Central Government employees.

भारत सरकार वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2998

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक) को दिया गया

पुरानी पेंशन योजना को पुन: आरंभ करना

2998. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को पुन: आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या नई पेंशन योजना (एनपीएस) में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) से (घ): भारत सरकार द्वारा वित्तीय रूप से सम्पोषणीय तरीके से वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने तथा विवेकपूर्ण निवेश के माध्यम से छोटी बचत को अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में चैनेलाइज करने के लिए निर्धारित लाभ पेंशन प्रणाली के स्थान पर निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना लागू करने हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना के माध्यम से आरंभ किया गया था। इसे दिनांक 01.01.2004 से सरकारी सेवा (सशस्त्र बलों को छोड़कर) में सभी नई भर्तियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था और सभी नागरिकों के लिए भी इसे स्वैच्छिक आधार पर दिनांक 01.05.2009 से लागू कर दिया गया है। भारत सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस को युक्तिसंगत बनाने और अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें सरकार के योगदान को पूर्व के वेतन + डीए के 10% से बढ़ाकर वेतन + डीए का 14% करना, अभिदाताओं को पेंशन निधि और निवेश पद्धित के चयन के लिए विकल्प की स्वतंत्रता, एनपीएस में जमा न किए गए या देरी से जमा किए गए अंशदान के लिए मुआवजे का भुगतान, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत कर छूट और देय राशि की एकमुश्त निकासी के लिए कर छूट की सीमा को पूर्व के 40% से बढ़ाकर 60% करना तािक पूरी निकासी को आयकर से छूट प्राप्त हो, शािमल हैं।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना को पुन: आरंभ करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।
